रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102022-239696
CG-DL-E-15102022-239696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4685] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944
No. 4685] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2022

सं. 39/2015–2020

विषयः एचएस कोड 1101 क तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 4895(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना सं. 30/2015–20 दिनांक 27.08.2022 में निम्नानुसार संशोधन करती है;

क्र. सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	निर्यात नीति	नई नीतिगत शर्त
64	1101	गेहूं या मेसलिन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और	निषिद्ध	हालांकि, गेहूं के आटे का निर्यात अग्रिम प्राधिकार–पत्र और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा अनुमत होगा।

		रिसल्टेंट आटा		अग्रिम प्राधिकार–पत्र धारक द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियात्मक शर्तें प्रक्रिया पुस्तक में प्रदान की जाएंगी। 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा गेहूं के आटे का निर्यात गेहूं के पूर्व–आयात की शर्त के अधीन होगा। गेहूं का आटा गेहूं की खेप के आयात की तारीख से 180 दिनों के भीतर निर्यात करना होगा। आयात वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन होगा और जॉब वर्क सहित किसी भी उद्देश्य के लिए आयातित कच्चे माल के हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी। गेहूं के आटे के निर्यात के उद्देश्य से घरेलू गेहूं की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिसाई के उपरान्त सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात किया जाना है और पिसाई के उपरान्त अवशेष को देश में रखने की अनुमति नहीं होगी**, मानदंड समिति द्वारा अनुमोदित अपव्यय को छोड़कर।** निर्यात के समय, आयातित गेहूं के लिए प्रविष्टि बिल को सीमाशुल्क अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके सत्यापन के बाद ही निर्यात की अनुमति होगी।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः अधिसूचना संख्या 30/2015–20 दिनांक 27.08.2022 को इस सीमा तक सशोधित किया गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात को आयातित गेहूं से उत्पादित और घरेलू गेहूं की खरीद के बिना और यथा–विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अग्रिम प्राधिकार–पत्र के मद्दे और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा अनुमति दी जाएगी।

[फा. सं. 01/91/180/010/एएम–23/ईसी/ई–33391]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2022

No. 39 /2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of items under HS Code 1101.

S.O. 4895(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby amends **Notification No. 30/2015-20 dated 27.08.2022, as under:**

S.No.	ITC HS Codes	Description	Export Policy	New Policy Condition
64	1101	Wheat or Meslin Flour (Atta), Maida, Samolina Rava/ Sirgi), Wholemeal atta and resultant atta	Prohibited	However, export of Wheat Flour (Atta) will be allowed against Advance Authorisation, and by Export Oriented Units (EOUs) and units in SEZs. Procedural conditions to be followed by Advance Authorisation holders will be provided in the Handbook of Procedures. Export of Wheat Flour (Atta) by 100% Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZ will be subject to pre-import of wheat condition. The Wheat Flour (Atta) will have to be exported within 180 days from the date of import of the wheat consignment. The import shall be subject to actual user condition and transfer of imported raw material, for any purpose including job work, shall not be permitted. Procurement of domestic wheat for the purpose of export of wheat flour will not be allowed. Entire production of milling process has to be exported and no remnants of the milling process will be allowed to be retained in the Country, except the wastage approved by Norms Committee. At the time of export, Bill of Entry for imported wheat will be produced before the Customs Authorities and only on verification of the same export will be allowed.

2. Effect of this Notification:

The Notification No. 30/2015-20 dated 27.08.2022 is amended to the extent that Export of Wheat Flour (Atta) will be allowed against Advance Authorization, and by Export Oriented Units (EOUs) and units in SEZs, to be produced from imported wheat and without procurement of domestic wheat and subject to conditions as specified.

[F. No. 01/91/180/010/AM-23/EC/E-33391]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addil. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA